उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्याः ८५३ / I-व.ग्रा.वि. / २००१
देहरादूनः दिनांकः मार्च ०३, २००१

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में बहुमूल्य वन सम्पदा का अपार भण्डार है. बढती हुई जनसंख्या एवं वन उत्पादों की बढती मांग एवं उनके मूल्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि का कतिपय असमाजिक तत्वों द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, वन सम्पदा के अवैध एवं अनुचित विदोहन को रोकने के लिए निर्देश निर्गत है, किन्तु इसके बावजूद अवैध पातन, अवैध खनन एवं अवैध शिकार की घटनायें हो रही हैं, इन घटनाओं से राजकीय सम्पत्ति एवं राजस्व हानि के साथ समय-समय पर वनाधिकारियों/कर्मचारियों की हत्यायें भी हुई हैं, या उनको घायल कर दिया गया है. इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस सम्बन्ध में प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है. राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने और प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए कृत संकल्प है. इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत निर्णय लिये गये हैं:

२. प्रदेश स्तर पर वन अपराधों पर नियंत्रण के कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:

१.	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
२.	सचिव, वन	सदस्य
३.	सचिव, गृह	सदस्य
४.	प्रमुख वन संरक्षक	सदस्य
५.	पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था	सदस्य
६.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव	सदस्य
७.	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन	सदस्य/संयोजक

यह समिति प्रत्येक ३ माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी.

3. वनों की सुरक्षा में प्रभावी नियंत्रण पाने हेतु जनपद स्तर पर वन विभाग, राजस्व विभाग, एवं पुलिस विभाग की एक समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नप्रकार गठित की जाती है, जो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी. यह समिति वन अपराधों से सम्बन्धित स्पेशल रिपोर्ट की
भी समीक्षा करेगी।

1.	सम्बन्धित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	प्रमुख वन संरक्षक द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य / संयोजक
4.	जनपद में पड़ने वाले अन्य क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

उक्त टास्क फोर्स अवैध पातन, अवैध शिकार एवं वन भूमि पर अतिकमण के सभी पहलुओं पर समय–समय पर गहन समीक्षा करेगी, और इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी, तथा अपनी रिपोर्ट शासन के वन विभाग को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी.

4. जनपद स्तरीय समिति के अधीन एक या अधिक संयुक्त टास्क फोर्स भी निम्न प्रकार गठित की जाती है, जो समय–समय पर आरामशीनों, खनन क्षेत्रों, अवैध पातन तथा शिकार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आकस्मिक गश्त / निरीक्षण करेगी, और अपनी आख्या जनपद स्तरीय समिति को उपलब्ध करायेगी:

1.	सम्बन्धित परगनाधिकारी	सदस्य
2.	सम्बन्धित प्रभागीय क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक	सदस्य / संयोजक

ह0–
(अजय विक्रम सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः 853 (1) / I- व.ग्रा.वि. / 2001 तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल.
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल
3. सचिव, वन, उत्तरांचल
4. सचिव, गृह, उत्तरांचल
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
6. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन उत्तरांचल
7. पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, उत्तरांचल
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल
10. समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल

ह0-

(शत्रुघ्न सिंह)

सचिव